

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 53 /14-1 दिनांक, 05 जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

विषय:-

जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं०-8बी/यूपी/06/104/2023/एफसी/182 दि०-14.06.2023

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को सम्बोधित तथा आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के क्रम में विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या 04-04 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	Site inspection report of DFO for area proposed for diversion needs to be submitted. When was the existing road constructed? Documentary evidence regarding the same need to be provided.	याचक विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-1756/ए-1 दि०-30.06.2023 द्वारा अवगत कराया कि टीकरगढ़ी भदेसा सुदेशाबहादुरपुर मार्ग का निर्माण उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम इकाई-21 द्वारा वर्ष 2006-07 में किया गया है। जिसका हस्तान्तरण लो०नि०वि० को दिनांक 25.04.2007 को किया गया। (अभिलेख संलग्न है।) पुनः मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 में लो०नि०वि० द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग वन विभाग से आच्छादित भूमि पर स्थित नहीं है। (अभिलेख संलग्न है।)
2	As per proposal no. of tree proposed to be felled is 25 but as per kml file submitted more than 25 trees are visible on area proposed for diversion. This also needs to be re-accessed.	प्रस्तावित मार्ग का दिनांक 06.06.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण उपप्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव तथा सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उन्नाव द्वारा किया गया, सम्बन्धित के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में 376 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा वृक्षों की व्यासवार श्रेणी संलग्न है।

अतः रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक /समदिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उनके कार्यालय की पत्र सं०-3965/11-सी-एफपी/यूपी/रोड़/25904/2017 दि०-16.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उन्नाव

पत्रांक : 1756/A-1
सेवा में,

दिनांक : 30-6-23

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
उन्नाव।

विषय: जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र सं0 8 वी/यू0पी0/06/104/2023/एफ0सी0/182 दिनांक 14.06.2023

उपरोक्त के क्रम में दिनांक 30.05.2023 को हुई बैठक में निम्न दो बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में सूचना निम्नवत् है :-

क्रम सं0	वांछित बिन्दु पर चाही गई सूचना	कार्यदायी संस्था की आख्या
1	2	3
1	Site Inspection report of DFO for area propped for diversion needs to be submitted. When was the existing road constructed ? Documentary evidence regarding the sam need to be provided.	संलग्न है। दिनांक 06.06.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। अभिलेखों के अनुसार टीकरगढ़ी भदेसा सुदेशाबहादुर मार्ग का निर्माण उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम इकाई-21 द्वारा वर्ष 2006-07 में किया गया है। जिसका हस्तान्तरण लो0नि0वि0 को दिनांक 25.04.2007 को किया गया। अभिलेख संलग्न है। पुनः मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 में लो0नि0वि0 द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग वन विभाग से आच्छादित भूमि पर स्थित नहीं है (अभिलेख संलग्न)।
2	As per proposal, no. of trees proposed to be felled is 25 but as per .kml file submitted more than 25 trees are visible on area proposed for diversion. This also needs to be re-accessed.	मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 06.06.23 को वन विभाग एवं लो0नि0वि0 की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण में प्रश्नगत वन भूमि पर 376 वृक्ष/झाड़ियां पाई गई है। संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उन्नाव

दिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि: 1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उन्नाव

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उन्नाव**

पत्रांक :
सेवा में,

दिनांक :

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
उन्नाव।

विषय: जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र सं0 8 वी/यू0पी0/06/104/2023/एफ0सी0/182 दिनांक 14.06.2023

उपरोक्त के क्रम में दिनांक 30.05.2023 को हुई बैठक में निम्न दो बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में सूचना निम्नवत् है :-

क्रम सं0	वांछित बिन्दु पर चाही गई सूचना	कार्यदायी संस्था की आख्या
1	2	3
1	Site Inspection report of DFO for area propped for diversion needs to be submitted. When was the existing road constructed ? Documentary evidence regarding the sam need to be provided.	संलग्न है। दिनांक 06.06.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। अभिलेखों के अनुसार टीकरगढ़ी भदेसा सुदेशाबहादुर मार्ग का निर्माण उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम इकाई-21 द्वारा वर्ष 2006-07 में किया गया है। जिसका हस्तान्तरण लो0नि0वि0 को दिनांक 25.04.2007 को किया गया। अभिलेख संलग्न है। पुनः मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 में लो0नि0वि0 द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग वन विभाग से आच्छादित भूमि पर स्थित नहीं है (अभिलेख संलग्न)।
2	As per proposal, no. of trees proposed to be felled is 25 but as per .kml file submitted more than 25 trees are visible on area proposed for diversion. This also needs to be re-accessed.	मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 06.06.23 को वन विभाग एवं लो0नि0वि0 की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण में प्रश्नगत वन भूमि पर 376 वृक्ष/झाड़ियां पाई गई हैं। संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उन्नाव

पत्रांक 1756/19-1

दिनांक 30-6-23

प्रतिलिपि: 1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उन्नाव

कार्यालय अधिशाषी अभियंता

निर्माण खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०,

उन्नाव

पत्रांक :

दिनांक:

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम लि०, इकाई-21,

लखनऊ।

विषय: विश्व बैंक द्वारा संचालित सोडिक-2 योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में नवनिर्मित मार्ग टीकर गढी भदशा सुदेशाबहादुर मार्ग को हस्तगत कर सूचित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक सं० : 603/सोडिक-2 रा०नि०वि०/ल०इ०-21/2005 एवं पत्र सं०: 367/सोडिक-2/रा०नि०वि०/ल०इ०-21 2007 दिनांक 16.04.2007।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित आपके पत्र के अनुपालन में प्रेषित उक्त मार्ग से संबंधित हस्तांतरित प्रपत्र 4 नं० सहित टीकर गढी भदशा से सुदेशाबहादुर मार्ग लम्बाई 2.215 किमी० जिसका निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश रा०नि०वि० लि० द्वारा किया गया है। वर्तमान में इस खण्ड द्वारा इस मार्ग का यथास्थिति में टेकओवर कर लिया गया है। उक्त मार्ग का कार्य भार प्रमुख अभियंता (डास्प/सोडिक) लो०नि०वि० लखनऊ के कार्यालय झाप सं० 02/टी०सी० 30 डब्लू०बी० (सोडिक)/एच०ओ०/03 दिनांक 03.01.2005 के अनुपालन में किया गया है।

अधिशाषी अभियंता

निर्माण खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०

उन्नाव

पत्रांक : 951/ए-8

दिनांक: 25-4-07

- प्रतिलिपि : 1. अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव को सूचनार्थ।
2. सहायक अभियंता (द्वितीय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियंता श्री एस०के० श्रीवास्तव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अवर अभियंता (प्रावै०) को मार्ग परिलेख में प्रविष्टि हेतु।

अधिशाषी अभियंता

निर्माण खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०

उन्नाव

मार्ग परिलेख प्रपत्र संख्या -1
लोननिविदों के मार्गों का सम्पूर्ण विवरण

नि0खं0 1. लोननिविदों, उन्नाव

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग का वर्गीकरण तथा मार्ग संख्या	मार्ग के प्रारम्भिक स्थान का नाम जोयों चैनल का स्थान	मार्ग के अन्तिम स्थान का नाम व अन्तिम चैनल	जनपद में किस चैनल से प्रारंभ है	खडीय सीमा किस किमी0 में अंत है	दशा	मार्ग के किमी0 की सं0	प्रताकट (सेमी0 में)	विवरण सतह	कहाँ से किमी0 सं0	कहाँ तक किमी0 सं0	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मी0 में	क्षेत्रफल वर्ग मी0 में	नगर पालिका/टाउन परिषद के अन्तर्गत मार्गों का विवरण				मार्ग के किनारे पड़ने वाले नगर कस्बा व ग्राम के नाम संबंधित हैने जे के सामने अंकित करें	अन्य विवरण
																किस चैनल से किमी0 में	किस चैनल तक किमी0 में	लम्बाई किमी0 में	क्षेत्रफल वर्ग मी0 में		
1	251	कुसुम्भी रोड से मकूर एवं जरवाखेड़ा	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				जरवाखेड़ा तक	0.00	3.85		1	16.5	पथे0	0.00	1.00	1000.00	3.00	3000.00						
								2	16.5	पथे0	1.00	2.00	1000.00	3.00	3000.00						6/98
								3	16.5	पथे0	2.00	3.00	1000.00	3.00	3000.00						6/98
								4	16.5	पथे0	3.00	3.85	854.00	3.00	2562.00						6/98
													3.854								
								1		पथे0	0.00	1.00	1000	3.00	3000						
								2		"	1.00	2.00	2000	3.00	3000						
								3		"	2.00	3.00	3000	3.00	3000						
											3.00	3.85	3000	3.00	3000						

252 श्रीमन् गौरी भद्रा
(कुसुम्भी रोड से मकूर एवं जरवाखेड़ा)

सोडि-2 रीमार्क
मोपरा

आवृत्ति 0.00 2.215

अधिशायी अभियंता
नि0खं0 नं0-1 लोननिविद

इस कार्यकाय के पत्रक नं० 951/ए-8 दिनांक- 25-4-07 द्वारा उपर्युक्त मार्गों को भूतल पर उचित की जाये है।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH



Estimator _ Project No:

2015 _ 16

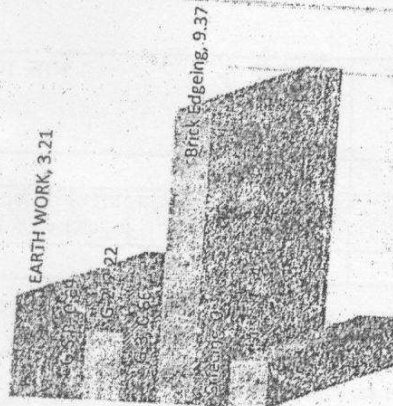
LOK NIRMAN VIBHAG

Name of Circle:

Unnao Circle, PWD, Unnao

Name of Division:

CD-1, PWD, Unnao



	1	2
EARTH WORK	3.21	
G.S.D	0.69	1.79%
G-2	2.22	13.18%
G-3	0.86	30.15%
Brick Edging	9.37	15.04%
Srfacing	* 0	1.81%
Misc	1.54	22.86%
		4.05%

Name of Road :

Re-Construction of Teekar gadi Birchi to Bhadesa (Sudesh Bahadurpur) Link Road.

Road Length

2.215 Km

Total Cost

28.22 Lacs

पत्रांक:-|| सीजी/०२ रा०स०नि०(आवटन-5054)/१६-१७ दिनांक:-३/०१/२०१७

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,

मध्यक्षेत्र

लो०नि०वि०, लखनऊ।

विषय:-वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अनुदान सं०-५८ लेखाशीर्षक ५०५४ के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद उन्नाव में टीकरगढ़ी बिरची मार्ग से भदेसा (सुदेसा बहादुरपुर) सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन।

सन्दर्भ:-शा.सं०-०६ /२०१७ /१८०८ रासनि /२३-१-१६-८९५ रासनि/१६ दिनांक २.१.२०१७

कृपया उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक ०२.०१.२०१७ की छायाप्रति का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में राज्य सड़क निधि में अनुदान संख्या-५८ लेखाशीर्षक ५०५४ (आयोजनागत) के अन्तर्गत सड़कों के पूंजीगत मद में निम्नलिखित विवरणानुसार जनपद उन्नाव में टीकरगढ़ी बिरची मार्ग से भदेसा (सुदेसा बहादुरपुर) सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य हेतु लागत रु० २८.२२ लाख (रु० अठ्ठाइस लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु० २.८२ लाख (रु० दो लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसका आवंटन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है:-

धनराशि :-रु० लाख में

क. स.	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी)	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में आवंटन
१	२	३	४	५	६
१	निख-१ उन्नाव	टीकरगढ़ी बिरची मार्ग से भदेसा (सुदेसा बहादुरपुर) सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य। (प्रा०मा०)	२.२१५	२८.२२	२.८२
		योग :-	२.२१५	२८.२२	२.८२

- 1- प्रयोजना की द्विगुणित को रोकने की दृष्टि से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विगुणित पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हेतु सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
- 2- प्ररगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता /अधीक्षक अभियन्ता /अधिरासी अभियन्ता का होगा।
- 3- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि विल्ट (लेखा) अनुभाग-२ के संशोधित शासनादेश सं० ए-२-१८०६/दस-२०१४-७४(४) /७५ दिनांक ११.११.१४ द्वारा जारी संशोधित /परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश केडिट लिमिट (सी०सी०एल०) प्रणाली व डिपार्टमेंट केडिट लिमिट (डी०सी०एल०) प्रणाली के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों पर दिनांक ०१.०४.२०१४ से सेन्टेज कार्यांश (लागत १००) का ६.८७५ प्रतिशत सेन्टेज /अधिष्ठान व्यय की धनराशि विल्ट (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के शासनादेश सं० बी-१-९०१ /दस -२०११-२३१/२०११ दिनांक २१.०३.२०११ के संलग्नक में प्रदर्शित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक "१०५४-००-८००-०५-००-००" में ट्रान्सफर इंड्री डाटा केडिट करके जमा की जायेगी।
- 4- लेबरसेस की एक प्रतिशत (१%) धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 5- मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत /आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं० ३२८०(१) /२३-९-०५-२५-२० एसी/०५, दिनांक २१.०९.२००५ एवं शासनादेश सं०-३१३ /२३-९-२०१३-२० एसी/०४ टीसी, दिनांक १४.०३.१३ में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक "१०५४-सड़क तथा सेतु-८०० अन्य प्राप्ति-०४-दूल्ह एवं प्लाण्ट की प्राप्ति" में जमा करायी जायेगी।
- 6- प्ररगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में ३१ मार्च २०१७ तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक ३०.०४.२०१७ तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
- 7- प्ररगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय विल्ट विभाग द्वारा निर्गत आदेशों /ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किए गए प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्ररगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- 8- राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ०प्र० राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं /प्रयोजनों के लिए ही स्वीकृत /आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उरती प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- 9- उक्त कार्य निर्धारित य अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अधी०अभि० एवं अधिरासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- 10- इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 11- विभाग द्वारा आवश्यक वैधानिक अनुमति एवं पर्यावरणीय शर्तों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- 12- क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, इस आवंटन आदेश की प्रति अपने स्तर से संबंधित खण्डों एवं युक्तों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय से प्रेषित कि यदि उपरोक्त मार्ग पर आवंटन गलत खण्ड को हो गया है तो तत्काल धनराशि का समायोजन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 13- जिस मार्ग / कार्य हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है उस मार्ग / कार्य को उतर्ना हो सम्पादित / भाग में कार्य किया जाय जिससे कि वह भाग / सम्पादित आवंटित धनराशि को भीतर अन्तिम धरण तक पूर्ण हो जाय।
- 14- सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
- य- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमशः चालू वित्तीय वर्ष 2018-17 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण/चौड़ीकरण-24-वृद्धत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं०-58 के भाग-4 के वसुलियों-लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण/चौड़ीकरण (8225) -24-वृद्धत निर्माण कार्य में जमा किया जायेगा।

बजट कोड 5054 04 337 58 00 24

आवंटित धनराशि:-2.82 लाख

उक्त धनराशि की प्रविष्टि बजट कन्ट्रोल रजिस्टर सं० के पृष्ठ सं० 54 पर कर ली गई है।

4 B

भवदीय

वित्त नियन्त्रक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि. लखनऊ

(एस०के० श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (मु०-1)
लो०नि०वि० लखनऊ

संलग्नक-सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02.01.2017 की प्रति।

प्रतिलिपि संलग्न तालिका सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव, लो०नि०अनु०-1 एवं 10, उ०प्र० शासन, लखनऊ को।
- 4- महालेखाकार-प्रथम (निर्माण), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 5- जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 6- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निख-1 लो०नि०वि० उन्नाव।
- 7- वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार साख-सीमा सम्बन्धित कोषागार/मुख्य अभियन्ता /सम्बन्धित खण्ड को नियमानुसार स्पीड पोस्ट /रजिस्टर्ड पोस्ट /विशेष संदेश वाहक द्वारा प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु। कृपया खण्ड की मांग/आवश्यकतानुसार ही सी०सी०एल० जारी करने की व्यवस्था करे।

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता (यातायात)
लो०नि०वि०, लखनऊ

ABSTRACT OF COST

Name of Road :- Re-Construction of Teekar gadi Birchi to Bhadesa
(Sudeshabahadurpur) Link Road

S.No.	Item of Work	Amount in Lacs
1	2	3
1	Cost of Construction	
2.	Dep. Value + Est. charge. (150+6875)%	27.95 25.80
3	CESS 1%	2.16
	Total	0.29 0.26
	Say	28.23 28.22

28.22 Lakh's

A.E.
CD-1, PWD,
Unnao

E.E.
CD-1, PWD,
Unnao

प्राथमिक स्वीकृति रजिस्टर क्रमांक ३५५ वर्ष
2016-17 के अनुसार 28.22 लाख (रु 28,22,00,000) का
की प्राथमिक स्वीकृति इस प्रतिवन्ध के साथ
प्रदान की जाती है कि संलग्न प्राथमिक टिप्पणी
का अनुपालन सुनिश्चित करें

(श्रीपाल सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव कृत्त लो० नि० वि०
उन्नाव